

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर चौमू (जिला-जयपुर ग्रामीण)

जयपुर जिला रमेश चन्द

मुकदमा नम्बर :- 12/2024

57647 15/CP

| क्रम संख्या | दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से | विशेष विवरण |
|-------------|---------------------------|---|-------------|
| | 19/7/24 | <p>व.क्र. 35/1 प्रा.पञ 151 CP पर वक्त सुनी गयी। डोराने वक्त वकील प्रभाष ने कहा कि इस प्रस्तावी के संबंधित अन्य वाद तमस्मा व स्थायी निषेधाज्ञा का विन्यासधीन है जो कृषिगत रिपीट में लायित है इसलिए इस प्रा.पञ 151 CP का निस्तारण तमस्मा हो जाने के बाद है। प्रार्थी अधिवक्ता ने डोराने वक्त कहा कि या.न. 1929 सभा 2.71 है। यदि वाके-प्राप्त आर्थिक में आभालय प्राप्त कर प्रा.पञ अस्थायी निषेधाज्ञा में दिनांक 23/6/2017 को भौत व रिपोर्ट के प्रभावित वा केलवा वाद प्रभावित किया गया था। पिछले प्रार्थी का अपनी कृषि भूमि विकसित करने के लिए कृषि श्रम के लिमिट बढाने व के.सी.सी. के रि-न्यू करने की अनुमति नहीं मिल रही है। अतः प्रार्थी का प्रा.पञ स्वीकार किया जाकर कृषि श्रम के लिमिट बढाने किसान गोल स्कीम के तहत बंधन व रि-न्यू करने की अनुमति प्रदान करे। अतः प्रा.पञ अधिवक्ता के वक्त पर कण किया गया। प्रा.पञ व इतरपेलात का अधिलोक किया गया। प्रार्थी का प्रा.पञ कृषि श्रम के लिमिट बढाने व K.L.C रिन्यू का है पिछले वाद के प्रकृति पर कोई विपरित असर नहीं पड़ेगा। इस प्रकार प्रार्थी का प्रा.पञ स्वीकार किया जाकर आभालित प्रतिर होता है। अतः</p> | |

सहायक कलक्टर जयपुर

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर चौमूं (जिला-जयपुर ग्रामीण)

जपानेश चण्ड बनाम रमेश चन्द

मुकदमा नम्बर :- 12/2024

आज्ञा विस्तृत रूप से 5/15/151 CPL

| क्रम संख्या | दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | विषय विवरण | दिनांक विवरण |
|-------------|---------------------------|---|--------------|
| | | <p>प्रार्थी को प्रा.पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी को न्यायालय अस्थाई निषेधाज्ञा जारी दिनांक 23/6/17 में कृषि पध प्राप्त करने व किसान गौड स्कीम (के.पी.स.) के तहत लिमिटेड बचपने व कृषि पध रि-न्यू करने के एडवकट छूट प्रदान की जाती है जो व आदेश यथापत रहेगा। प्रा.पत्र केवल शुकर होकर दफ्तर नम्बर से एक ही डाकिल दफ्तर है।</p> | |

सहायक कलक्टर
जयपुर

Presented